RANCHI UNIVERSITY,
RANCHI

अधिसूचना

उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के पत्रांक –5/वि –1-02/06 (खंड) 989 दिनांक 6.9.2020 के द्वारा छोटानागपुर लॉ कॉलेज रांची को एल एल एम (LLM) पाठ्यक्रम में बिना किसी वित्तीय भार के एवं इण्टर रहित अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण के प्रस्ताव पर निम्न शर्तों के साथ झारखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 04 (19) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अधोलिखित विवरणी शर्तों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की गई है।

क्र.	संकाय एवं विषय	सत्र	अनुमति
1.	LLM पाठ्यक्रम	2020–2022 के लिए	अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण

शर्तें

1. यह महाविद्यालय अस्थायी संबंधन/संबंधन दीर्घीकरण हेतु पत्रांकBSU-16/86-1096 (जी०एस०1) दिनांक 19.4.86 तथा संबंधन सम्बन्धी नवगठित परिनियम पत्रांक –2/वि० 1–247/2016 –749, दिनांक 13 अप्रैल, 2018 एवं द्वारा एवं यू०जी०सी० द्वारा निर्धारित शर्तों को सदैव पूरा करेगा।
2. यह महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित मानकों को सदैव पूरा करेगा।
3. शिक्षकों (अस्थायी /अंशकालिक) को यू.जी.सी./राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान में वेतन देया होगा।
4. नामांकन योग्य छात्रों की संख्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पत्रांक 1518/2012 (LE/affiln) दिनांक 24.7.2012 में दि गए निदेश के आलोक में होगा।
5. इस पाठ्यक्रम के संचालन में होने वाले किसी प्रकार के व्यय का वहन राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा।
6. महाविद्यालय भूमि संबंधी अहर्त्ता (ग्रामीण क्षेत्र के लिए 10 एकड़ एवं शहरी क्षेत्र के लिए 05 एकड़) पूर्ण करेगा तथा भूमि को तीन माह के अन्दर महाविद्यालय / राज्यपाल के नाम से निबंधित कराना अनिवार्य होगा।
7. विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति एवं अन्य अधिरोपित शर्तों का अनुपालन तीन माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा।
8. महाविद्यालय को यू०जी०सी० अधिनियम (यथा संशोधित) की धारा 5 के तहत NAAC Accreditation कराना आवश्यक होगा।
9. आरक्षण नियमों का अक्षरशः अनुपालन कराना अनिवार्य होगा।
10. यदि विश्वविद्यालय के निरीक्षण टिप्पणी में उठाये गये बिन्दुओं/कर्मियों का समय–सीमा के अन्तर्गत अनुपालन नहीं कराया जाता है। तो महाविद्यालय अगले सत्र लिए नवसंबंधन /संबंधन दीर्घीकरण हेतु। अहर्त्ता नहीं रखेगें।

कुलपति के आदेशानुसार
ह/–
कुलसचिव
रॉंची विश्वविद्यालय,रॉंची

क्र GO-7306-7309

दिनांक 2·11·2020

प्रतिलिपि–

1. प्राचार्य, छोटानागपुर लॉ कॉलेज,रॉंची।
2. परीक्षा नियंत्रक, रॉंची विश्वविद्यालय, रॉंची।
3. प्रभारी, टेबुलेशन सेन्टर रॉंची विश्वविद्यालय, रॉंची।
4. सहायक कुलसचिव–1, पंजीयन शाखा, रॉंची विश्वविद्यालय, रॉंची।

2·11·20
कुलसचिव
रॉंची विश्वविद्यालय, रॉंची